कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 220/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.06.2026

थाना- रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

☐ रानी की सराय पुलिस की बड़ी सफलता: अवैध तमंचा, कारतूस, 04 चोरी की मोटरसाइकिल एवं 03 एंड्रॉइड मोबाइल फोन के साथ 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

☐ वाहन चोरी गिरोह पर पुलिस का प्रहार: चोरी की मोटरसाइकिलों की खेप बरामद, अंतरजनपदीय कनेक्शन की जांच जारी

☐ संदिग्धों की चेकिंग अभियान में मिली सफलता: अवैध असलहा, चोरी के वाहन एवं मोबाइल फोन बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में दिनांक 08.06.2026 को उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर सेमरहा अण्डरपास के पास घेराबंदी की गयी। पुलिस टीम ने दो मोटरसाइकिलों पर सवार 03 अभियुक्तों को समय करीब 04:38 बजे गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. निहाल पुत्र चन्दन सेठ निवासी कस्बा रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
2. सनी उर्फ सचिन पुत्र सत्यदेव गौड़ निवासी गोसढ़ी गोठांव थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
3. सौरभ यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी अन्धौरी थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिल
- 03 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन
- ₹100/- नकद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-150/2026 धारा 2(30), 317(2), 340(2), 338, 336(3) बीएनएस व धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सनी उर्फ सचिन

- मु0अ0सं0-90/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 109 बीएनएस थाना रानी की सराय।
- मु0अ0सं0-150/2026 धारा 2(30), 317(2), 340(2), 338, 336(3) बीएनएस थाना रानी की सराय।

सौरभ यादव

- मु0अ0सं0-31/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना रानी की सराय।
- मु0अ0सं0-150/2026 धारा 2(30), 317(2), 340(2), 338, 336(3) बीएनएस थाना रानी की सराय।

निहाल

- मु0अ0सं0-150/2026 धारा 2(30), 317(2), 340(2), 338, 336(3) बीएनएस थाना रानी की सराय।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सूरज तिवारी, उ0नि0 मो0 शाहिद खान, हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 दिनेश यादव, रि0का0 घनश्याम, रि0का0 शाहरुख खान, रि0का0 ओमकार कुशवाहा, रि0का0 बृजेश कुशवाहा, रि0का0 अमन कुमार गुप्ता, रि0का0 दीपक गुप्ता एवं रि0का0 आकाश यादव।

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सतत प्रतिबद्ध है।

थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

□ फर्जी दस्तावेज तैयार कर अर्द्धसैनिक बल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

□ सरकारी/अर्द्धसैनिक बल में भर्ती कराने का झांसा देकर युवाओं से धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त दबोचा गया

□ कूटरचित अभिलेख तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को मऊ से गिरफ्तार किया गया

पूर्व की घटना/घटना का विवरण-

दिनांक 20.05.2026 को वादी *पंकज यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी ग्राम अंधौरी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर अर्द्धसैनिक बल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानी की सराय पर *मु0अ0सं0-123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352, 338 बीएनएस* पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त *मुन्ना शर्मा पुत्र विक्रमा शर्मा निवासी पिपराकला थाना खजुरी जनपद बलिया* को दिनांक 08.06.2026 को समय करीब 08:36 बजे मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन गुमटी के पास, जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना शर्मा पुत्र विक्रमा शर्मा निवासी पिपराकला थाना खजुरी जनपद बलिया, उम्र करीब 48 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352, 338 बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-435/2022 धारा 120(B), 468, 471, 472, 34 IPC थाना पलटन बाजार, कामरूप (मेट्रो), असम।
2. मु0अ0सं0-123/2026 धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352, 338 बीएनएस थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 सुशील कुमार, रि0का0 लक्ष्मीकांत शुक्ला, रि0का0 अनुराग चौबे एवं रि0का0 दीपक गुप्ता, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 08.06.2026
थाना- गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

 जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार
 नाली विवाद में मारपीट कर घायल करने की घटना में नामजद अभियुक्ता को पुलिस ने दबोचा

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.06.2026 को वादी हिमांशु यादव पुत्र रामदुलार यादव निवासी सिंघड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 06:00 बजे शाम को नाली के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा उसकी माता सन्तारा देवी एवं भाई दीपांशु को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा लाठी-डण्डा एवं लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर *मु0अ0सं0-139/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस* बनाम 1. सचिन यादव, 2. शुभम यादव एवं 3. मीला देवी निवासीगण ग्राम सिंघड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 08.06.2026 को उ0नि0 संदीप दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता *मीला देवी पत्नी विनोद यादव निवासी ग्राम सिंघड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़* को चिवटही मोड़ से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. मीला देवी पत्नी विनोद यादव निवासी ग्राम सिंघड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-139/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 संदीप दूबे, का0 धीरज सिंह एवं रि0म0आ0 रागिनी गौड़, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला, जनपद आजमगढ़
 ₹69.96 लाख मूल्य के 253 कुंतल चावल की हेराफेरी का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
 फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर ट्रक सहित चावल गायब करने वाले गिरोह पर अहरौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई
 ट्रांसपोर्टर ने रची थी साजिश, हरियाणा में बेच दिया पूरा माल; वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.07.2025 को वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम प्रसाद निवासी ग्राम मतलूबपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई कि उनकी फर्म *जय हनुमान ट्रेडर्स* से दिनांक 18.06.2025 को लगभग 253.20 कुंतल चावल, जिसकी कीमत लगभग ₹69.96 लाख थी, हरियाणा भेजने हेतु ट्रक में लोड कराया गया था। किन्तु उक्त माल निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा तथा ट्रांसपोर्टर द्वारा टालमटोल एवं धमकी दी जाने लगी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर *मु0अ0सं0-268/2025* धारा 316(2)/318(4)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना का सफल अनावरण एवं गिरफ्तारी-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.06.2026 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह फुलवरिया बाजार क्षेत्र में मौजूद थे। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *दिनेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी पारा बासूपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर* को फुलवरिया अण्डरपास के पास से समय 08:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोगियों मोहन लाल एवं हवा सिंह के साथ मिलकर फर्जी एवं कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर चावल लदे ट्रक को हरियाणा में ही बेच दिया था तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली थी। अभियुक्त द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि परिवहन संबंधी दस्तावेजों का उपयोग कर सुनियोजित तरीके से माल का गबन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिनेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी पारा बासूपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-268/2025 धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-610/2019 धारा 406/506 भादवि, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
2. मु0अ0सं0-268/2025 धारा 318(4)/351(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला एवं का0 योगेन्द्र बहादुर यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 08.06.2026

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पाक्सो एक्ट के आरोपी को 24 घंटे के भीतर दबोचा

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2026 को थाना कोतवाली पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में मु0अ0सं0-0283/2026 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम सत्यम चौहान पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक रफी आलम एवं पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **सत्यम चौहान पुत्र रामविलास चौहान निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष** को दिनांक 07.06.2026 को समय 21:05 बजे **अम्बेडकर पार्क, कलेक्ट्रेट परिसर के पास** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सत्यम चौहान पुत्र रामविलास चौहान निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-0283/2026, धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
निरीक्षक रफी आलम एवं का0 जितेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 08.06.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

 नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
 गम्भीरपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 24 घंटे के भीतर दबोचा

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.06.2026 को थाना गम्भीरपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर, भयभीत कर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0-146/2026 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गई।
गिरफ्तारी का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *आशीष कुमार प्रजापति पुत्र हंश कुमार प्रजापति निवासी ग्राम सरदहां थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़* को दिनांक 08.06.2026 को समय करीब 10:10 बजे *बाबा बेचन मोड़, किशुनपुर काशीनाथ* से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्त-
आशीष कुमार प्रजापति पुत्र हंश कुमार प्रजापति निवासी ग्राम सरदहां थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-146/2026 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, का0 अजीत पटेल, रि0का0 मुकेश गुप्ता एवं रि0म0का0 सुधा कुमारी, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़

□ किसी भी परीक्षा से असंबंधित वीडियो को पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 से जोड़कर अफवाह फैलाने वाला युवक पुलिस हिरासत में

□ सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं फर्जी सूचनाएं प्रसारित करने वाले आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज, विधिक कार्रवाई शुरू

□ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 के प्रथम दिवस की परीक्षा सकुशल सम्पन्न

□ निष्पक्ष, पारदर्शी, शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध

घटना का विवरण-
दिनांक 08.06.2026 को इंस्टाग्राम आईडी *ashutoshmaurya9498* से एक ऐसे वीडियो को प्रसारित कर जनपद आजमगढ़ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 के संबंध में भ्रामक एवं असत्य सूचना फैलायी जा रही थी, जबकि उक्त वीडियो का किसी भी भर्ती परीक्षा से कोई संबंध नहीं पाया गया।

मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर सेल आजमगढ़ द्वारा वीडियो का फैक्ट चेक एवं तकनीकी परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि वायरल वीडियो *दिनांक 17.04.2026 का है तथा नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर से संबंधित है। उक्त वीडियो का किसी भी भर्ती परीक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षा से कोई संबंध नहीं है।* साथ ही इसका जनपद आजमगढ़ में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 से भी कोई संबंध नहीं पाया गया।

साइबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल ट्रेसिंग के आधार पर उक्त इंस्टाग्राम आईडी संचालक की पहचान *आशुतोष कुमार मौर्य पुत्र प्रेमशंकर मौर्य वर्तमान पता- गौरीनरायणपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष* के रूप में की गई। आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 293/26 धारा 353(2) बीएनएस व धारा 66डी आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

□ *सख्त चेतावनी :*
परीक्षाओं, कानून-व्यवस्था अथवा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अफवाह, फर्जी समाचार, भ्रामक वीडियो अथवा असत्य सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों की सतत साइबर निगरानी की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचना को साझा करने से पूर्व उसकी सत्यता अवश्य जांच लें।

□ जनपद पुलिस एवं प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पुलिस भर्ती परीक्षा-2026 के प्रथम दिवस की परीक्षा सकुशल, शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न हुई।